UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 37 / 250

दिनांक 6 /01/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में बिलखेत–गैराड–भौरु चौबट्टा मोटर मार्ग का विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.97 है0 वनभूमि के सम्बन्ध में का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/10596/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून के 8बी/ यू0सी0पी0 /06/148/2015 /एफ0सी0 /2601 दि0 17.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगांयी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	बिन्दु सं0 02 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र 5.94 है0 के स्थान पर 4.90 है0 पाया गया है। सी0ए0 क्षेत्र के डी0एस0एस0 विश्लेषण के अनुसार यह क्षेत्र किसी अन्य प्रस्ताव के साथ अतिव्यापी (Overlapping with proposal No FP/UK/ROAD /15673 /2015 & FP/UK/ROAD/15675/2015) पाया गया है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	उक्त प्रस्ताव में पुनः ग्राम नौकोडी में 5.940 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित मैप तैयार कर पुनः प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा रहा है। अतः अपने स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें। (संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप ,उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का आगणन) 5 प्रतियों में।
2	बिन्दु सं0 03 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार प्रस्तावित ग्राम को दोनों छोर से जोडने के बजाय निकटतम बिन्दु से जोड सकती है। अतः राज्य सरकार तदानुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	महोदय बिन्दु सं0 3 के प्रतिउत्तर में यह कहना है कि ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व सर्वे में ही मोटर मार्ग का निर्माण करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। दूसरे छोर से ग्रामीणों की नापभूमि अधिक प्रभावित हो रही है। (छायाप्रति संलग्न)
3	प्रस्ताव की मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है।	इस कार्यालय द्वारा पूर्व में वनभूमि प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ प्रेषित कर दी गयी थी। खण्ड में वनभूमि प्रस्ताव की छायाप्रति उपलब्ध है।इस कार्यालय के पत्रांक सं0 100/2ई0 दिनांक 17. 01.2018 द्वारा पुनः मैप एवं एफ0आर0ए0 के प्रपत्र नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित कर दिये गये थें।

भवदीय,

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या- 279 /24-01/ए0जे0ए0-लो0नि0वि0/2021-22 दिनांक 01 /01 /2022

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट।

विषय जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पंतक्वैराली गैराड से भैरूचौबट्टा मोटर मार्ग मिलान के संदर्भ में।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान, ग्राम पंचायत भैरूचौबट्टा, वि०ख० व जनपद बागेश्वर एवं समस्त ग्रामवासियों का सयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनॉक 21.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि गैराड के सिमायल, स्यूनेवाड, भैरूचौबट्टा हेतु 6 किमी मोटर मार्ग की स्वीकृति होने उपरान्त मोटर मार्ग में पडने वाले पेडों का चिन्हीकरण होने उपरान्त भी काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण नही होने से समस्त क्षेत्रीय जनता को समस्याओं का सामना करने का उल्लेख करते हुए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत: उपरोक्त पत्र मूल में संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धितों को अवगत कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कृष्ण सिंह,
संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री ,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री सचिवालय

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग - 1
संख्या-VIP(M)/(B)504/XXXV-1/2020(1)
देहरादून- दिनांक: 12 मार्च 2020

श्री नवीन चन्द्र,
प्रधान,ग्राम पंचायत भैरूचौबट्टा,
पता ग्राम भैरूचौबट्टा(घटीगाड), पो0 भैरूचौबट्टा,
जिला-बागेश्वर,उत्तराखण्ड
पिन 263642।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पन्तक्वैराली गैराड से भैरूचौबट्टा रोड के मिलान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित आपका पत्र दिनांक 19.02.2020 आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भ संख्या - VIP(M)/(B)504/XXXV-1/2020(1) दिनांक: 25 Feb 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

कृपया उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।

21024
OC/ADA

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पंतक्वैराली गैराड़ से भैरुचौबट्टा मोटर मार्ग मिलान के सन्दर्भ में,

610 22-12-21

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि पिछले वर्षों में उक्त क्षेत्रवासियों द्वारा शासन-प्रशासन को बार-बार अवगत कराये जाने पर भी उक्त विषय पर कोई कार्यवाही नही हुई है, बार-बार शासन-प्रशासन से निवेदन करने पर भी क्षेत्रवासियों के समस्याओं का निवारण शासन-प्रशासन द्वारा नही किया गया है,

पिछली सूचना के आधार पर आज उक्त क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे है,

निवेदनकर्ता -
समस्त क्षेत्रवासी

प्रधान जी 9627253705
नवीन चन्द्र
सुशील धौनी - 8077656008.

प्रधान
ग्राम पंचायत भैरुचौबट्टा
वि०ख० व जनपद-बागेश्वर

अजय कुमार
21/12/2021
संजय धौनी
अनिल कुमार
नरेश चन्द्र
सतीश चन्द्र
संतोष

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय

लोक निर्माण विभाग कपकोट जिला-बागेश्वर

विषय- गैराड़ से सिमायाल रगुलेनाड़ गैरु-चौबड़ा मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि गैराड़ से सिमायाल रगुलेनाड़ गैरु चौबड़ा हेतु 6 किमी मोटर मार्ग की स्वीकृति, [illegible] तथा मोटर मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों का चिन्हीकरण हुए [illegible] वर्ष पूर्ण हो चुके है, परन्तु आज तक उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जिसके अन्तर्गत आने वाले लाभान्वित गाँव क्रमशः अनेक गांव सुकराड़ी, हरीगाड़, बलियाड़ियार, राजस्व गांव सिमायाल, तिखाड़ी, रगुलेनाड़ चौबड़ा है, यहाँ की क्षेत्रीय जनता मोटर मार्ग से वंचित है। इस मोटर मार्ग के साथ स्वीकृत हुए मोटर मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है। मोटर मार्ग न होने से समस्त क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें।

अन्यथा समस्त क्षेत्रीय जनता उग्र आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगी।

दिनांक 26.08.2016

समस्त क्षेत्रीय जनता
सुकराड़ी, हरीगाड़, बलियाड़ियार,
राजस्व गांव सिमायाल, तिखाड़ी,
रगुलेनाड़ गैरु चौबड़ा।

[illegible] चन्द्र
[illegible]
[illegible] कुमार
गणेश चन्द्र जोशी
[illegible]
हरीश चन्द्र जोशी

पंजी न.
डायरी न.
दि. 26.08.2016

2.10

प्रारूप—43

1. परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर में बिलखेत गैराड़ भैरूचौबट्टा मोटर मार्ग।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम नौकोड़ी की वन पंचायत भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

तहसीलदार
तहसील-कपकोट

वनक्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर (कपकोट)

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

20-7-21

जियो रिफरेंस मैपः– जनपद बागेश्वर में बिललेख–गैराड–भैरूचौबटटा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित (क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नाकोरी 5.940 है0)

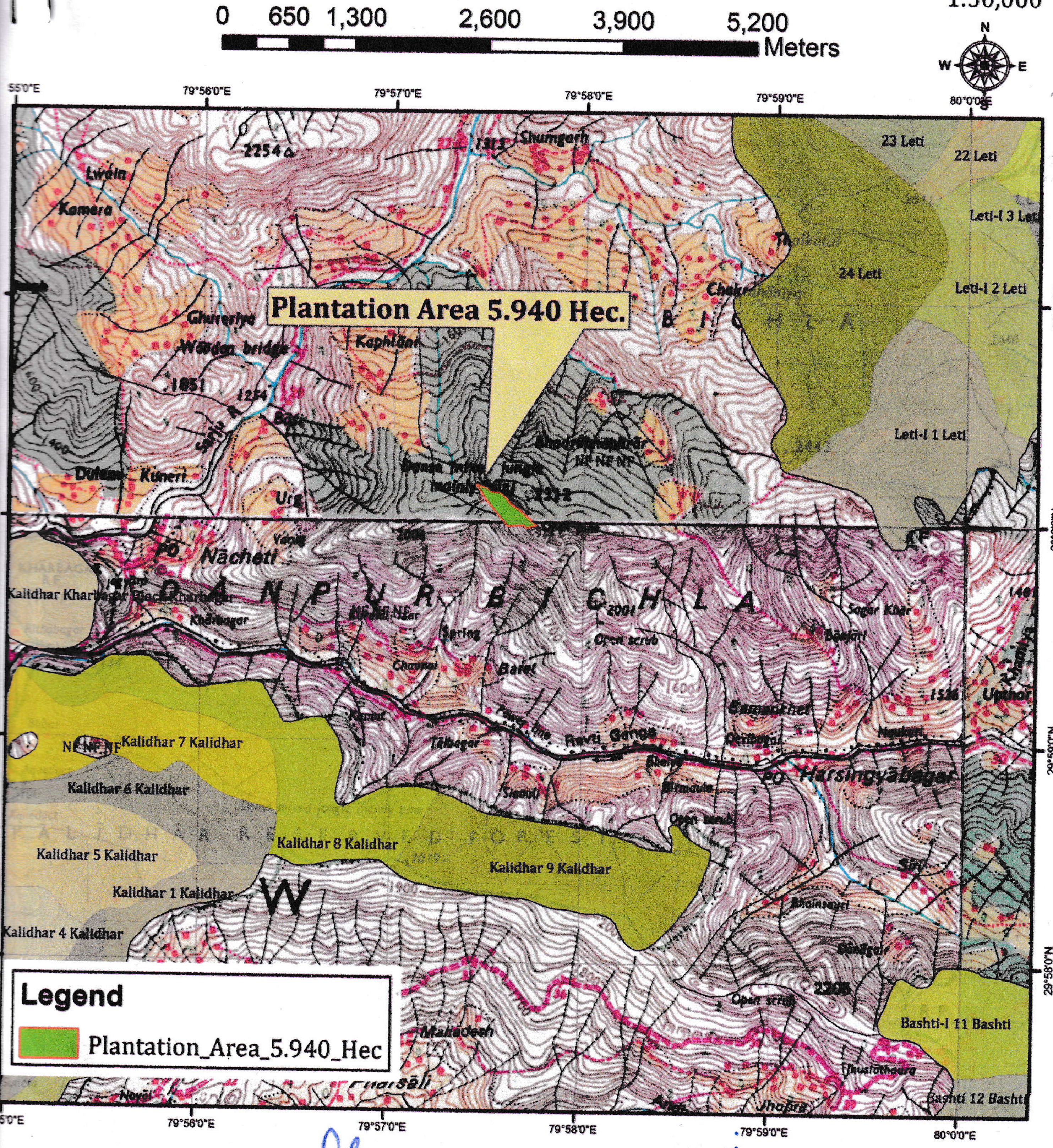

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

रेंस मैपः— जनपद बागेश्वर में बिललेख—गैराड—भैरूचौबटटा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित (क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नाकोरी 5.940 है0)

1:5,000

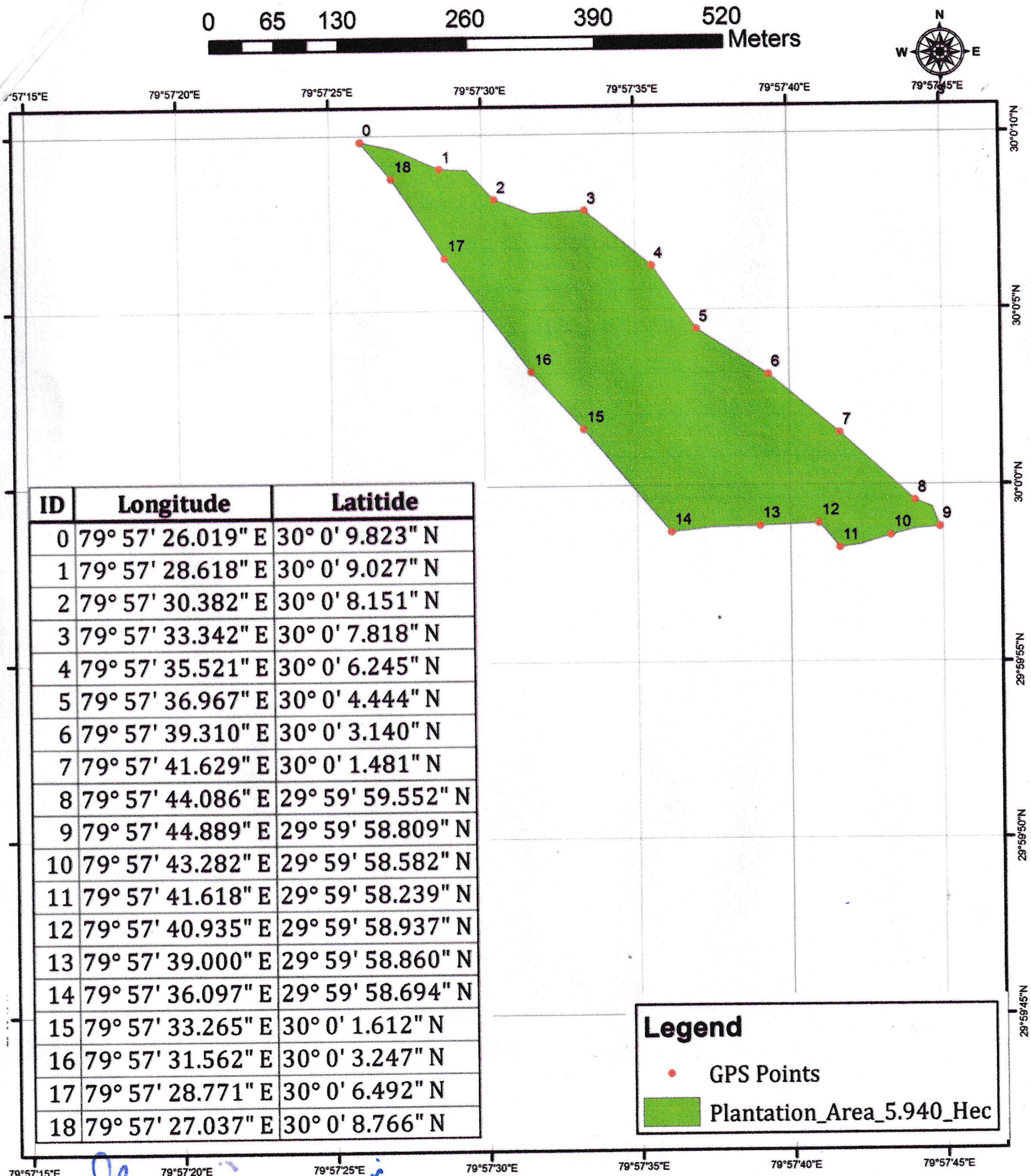

ID	Longitude	Latitide
0	79° 57' 26.019" E	30° 0' 9.823" N
1	79° 57' 28.618" E	30° 0' 9.027" N
2	79° 57' 30.382" E	30° 0' 8.151" N
3	79° 57' 33.342" E	30° 0' 7.818" N
4	79° 57' 35.521" E	30° 0' 6.245" N
5	79° 57' 36.967" E	30° 0' 4.444" N
6	79° 57' 39.310" E	30° 0' 3.140" N
7	79° 57' 41.629" E	30° 0' 1.481" N
8	79° 57' 44.086" E	29° 59' 59.552" N
9	79° 57' 44.889" E	29° 59' 58.809" N
10	79° 57' 43.282" E	29° 59' 58.582" N
11	79° 57' 41.618" E	29° 59' 58.239" N
12	79° 57' 40.935" E	29° 59' 58.937" N
13	79° 57' 39.000" E	29° 59' 58.860" N
14	79° 57' 36.097" E	29° 59' 58.694" N
15	79° 57' 33.265" E	30° 0' 1.612" N
16	79° 57' 31.562" E	30° 0' 3.247" N
17	79° 57' 28.771" E	30° 0' 6.492" N
18	79° 57' 27.037" E	30° 0' 8.766" N

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता

कार्यालय उपजिलाधिकारी कपकोट।

~~संख्या– 568/ पी0ए0 / व0भू0ह0 / 2021 / दिनांक 16 अप्रैल 2021~~

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लो0नि0वि0 कपकोट।

पंजी न. 250
डायरी नं 1277
दि० 17/4/2021

विषय :– जनपद बागेश्वर में बिलखेत –गैराड – भैरूचौबट्टा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 10596 / 2015)

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 453 / 2ई0 व0भू0 दिनांक 15.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पत्र में उक्त मोटर मार्ग हेतु ग्राम नौकोडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शामा में भूमि का चिन्हांकन करते हुए नामान्तरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक शामा से प्रस्ताव चाहा गया। जिस क्रम में प्रकरण पर राजस्व उप निरीक्षक शामा , वन विभाग के प्रतिनिधि श्री गणेश चतुर्वेदी वन दरोगा, श्री पंकज पटवा अवर अभियन्ता लो0नि0वि0 कपकोट के द्वारा प्रकरण मे संयुक्त निरीक्षण किया गया है।संयुक्त निरीक्षण ऑख्या से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम नौकोडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शामा तहसील कपकोट के गैर ज०वि०खतौनी के खाता संख्या 189 श्रेणी 9(3)ख अन्य वन के पैमायशी खेत नम्बर 02 रकवा 18.120 है0 मध्ये रकवा 5.940 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि में प्रस्तावित भूमि में कही कही पर पथरीली व ढलानदार है, चयनित भूमि में मन्दिर , मस्ज़िद एवं कब्रस्तान नही है और नही अन्य सामाजिक महत्व की है तथा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपरोक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने हेतु मौका खसरा, नक्शा, खतौनी प्रस्ताव एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की है।

अतः उक्तानुसार प्रस्ताव सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– किता।

16/04/2021
उपजिलाधिकारी,
कपकोट।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स0अ0 कृपया वन भूमि

17/4

उपजिलाधिकारी,
कपकोट।

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 309 / र०का० / व०भू०ह० / 2021 / दिनांक 09 अप्रैल 2021

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,

कपकोट।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में बिलखेत –गैराड – भैरूचौबट्टा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 10596 / 2015)**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कृपया अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 कपकोट के कार्यालय पत्र संख्या 453 / 2ई0 व0भू0 दिनांक 15.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पत्र में उक्त मोटर मार्ग हेतु ग्राम नौकोडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शामा में भूमि का चिन्हांकन करते हुए नामान्तरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक शामा से प्रस्ताव चाहा गया। जिस कम में प्रकरण परं राजस्व उप निरीक्षक शामा , वन विभाग के प्रतिनिधि श्री गणेश चतुर्वेदी वन दरोगा, श्री पंकज पटवा अवर अभियन्ता लो0नि0वि0 कपकोट के द्वारा प्रकरण मे संयुक्त निरीक्षण किया गया है।संयुक्त निरीक्षण ऑख्या से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम नौकोडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शामा तहसील कपकोट के गैर ज०वि०खतौनी के खाता संख्या 189 श्रेणी 9(3)ख अन्य वन के पैमायशी खेत नम्बर 02 रकवा 18.120 है0 मध्ये रकवा 5.940 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि में प्रस्तावित भूमि में कही कही पर पथरीली व ढलानदार है, चयनित भूमि में मन्दिर , मस्जिद एवं कब्रस्तान नही है और नही अन्य सामाजिक महत्व की है तथा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपरोक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने हेतु मौका खसरा, नक्शा, खतौनी प्रस्ताव एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की है।

अतः उक्तानुसार प्रस्ताव सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :–10 किता।

तहसीलदार

कपकोट।

उद्धरण ग्राम नौकोड़ी क्षेत्र - श्यामा तहसील कपकोट जनपद - बागेश्वर

[illegible]

खाता संख्या	नाम खातेदार	क्र. सं.	खेत नम्बर	क्षेत्रफल हे. में	लगान रु.	पै.	विवरण
189	अन्य वन		1	14.960			श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश सं० 9126/वन/कालनद्रास 102/03 दि० 24.6.03 के उक्त खाते की समस्त भूमि वन पंचायत नौकोड़ी के नाम नामांकन किया, ह० ग्रा० पंचायत मार्फत दि० 9.07.03
			2	18.120			
			6	29.250			
			7	21.188			
			8	1.414			
			10	8.960			
			11	0.576			
			क्रमशः	क्रमशः			शासनादेश संख्या. 2173/XVIII(II)2017-11(120)2012 दि० 17-12-2012 जिलांक तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 08 की एफ०सी०पी० 106/160/2010/ एफ०सी० 55/35/ दिनांक-07-06-2010 में दी गई शर्तों के अधीन तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं०. 3080/ कलेक्ट 27 वन/2012-13 दि० 28-जून 2013 के अनुसार खा० नं० 189 के पैमाइशी खेत नं० 01 मध्ये कुल 4.814 हे० भूमि कांडा पड़ाव जोगियावाड़ा मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि के दोगुनी भूमि वन विभाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु हस्तान्तरित एवं नामान्तरण किया जाता है। र० का० कपकोट
			2571	0.074			
			2587	0.251			
			2631	0.084			
			2635	0.041			
			2747	0.809			
			3817	2.390			
		योग	82	246.430			

महोदय, खतौनी उद्धरण तैयार कर प्रेषित है।

[signature] R.I. Kapkot
09-04-21

मौका खसरा ग्राम नौकोडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शामा तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर।

विषय– आपत्तियों में प्राप्त वन भूमि प्रस्तावों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने के संबध मे।

खाता संख्या	खेत नम्बर	क्षेत्रफल (है0)	श्रेणी	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि		अन्य विवरण
				खेत नम्बर	क्षेत्रफल	
189	02	18.120	9(3) ख	02 मध्ये	5.940	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

महोदय,

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दुगुनी भूमि के सबध में खसरा रिपोर्ट तैयार कर सादर प्रेषित है।

राजस्व निरीक्षक
कपकोट।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का का नामः–नौकोडी

क्षेत्रफल–2.970x2=5.940Hac.

प्रति हैक्टेयर रोपित पोधों की संख्या–1100 पौध प्रति हैक्टेयर

क0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	ई0	इकाई दर	प्रति	धनराशि
	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)					
1	सर्वे एवं सीमाकन	1	है0	147.00	है0	147.00
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	1100	पौध	8.70	है0	9570.00
3	स्थल सफाई कार्य/लौन्टाना झाडी कटान कार्य	1	है0	8581.00	है0	8581.00
4	घेरबाड कार्य(84 घ0मी0 प्रति है0)	84	घमी0	478.00	है0	40152.00
5	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1100	गडडे	11.14	है0	12254.00
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	है0	737.00	है0	737.00
7	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	20000.00	है0	20000.00
8	अन्य व्यय	1	है0	400.00	है0	400.00
	योग प्रथम वर्ष–					**91841.00**
	योग–:				Say	**91841.00**
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)					
1	पौधों का मूल्य (द्वितीय वर्ष)	1100	पौध	1.75	है0	1925.00
2	गडडा भरान कार्य	1100	पौध	1.75	है0	1925.00
3	पौध ढुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	1100	पौध	9.70	है0	10670.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	1100	पौध	3.13	है0	3443.00
5	निराई–गुडाई प्रथम बार	1100	पौध	1.15	है0	1265.00
6	निराई–गुडाई द्वितीय बार	1100	पौध	1.15	है0	1265.00
7	रासायनिक दवा व मल्चिंग	1100	पौध	0.32	है0	352.00
8	अनुरक्षण कार्य 8 माह का	1	है0	7235.00	है0	7235.00
9	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशीन पदार्थ को हटाना	1	है0	350.00	है0	350.00
10	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	14731.00	है0	14731.00
11	अन्य व्यय	1	है0	700.00	है0	700.00
	योग–द्वितीय चरण					**43861.00**
	योग–:				**Say**	**43861.00**
	रोपण के बाद प्रथम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के प्रथम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद द्वितीय वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00

	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के द्वितीय वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद तृतीय वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के तृतीय वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के चतुर्थ वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद पंचम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के पंचम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद षष्टम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के षष्टम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद सप्तम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के सप्तम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद अष्टम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के अष्टम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद नवम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के नवम वर्ष का					**23520.00**
	योग–:				**Say**	**23520.00**
	रोपण के बाद दशम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	11800.00	है0	11800.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	11720.00	है0	11720.00
	योग–रोपण के दशम वर्ष का					**23520.00**

योग—:					Say	23520.00
प्रति है0 रेट (कुल योग—:)					Say	370902.00

1— प्रति है0 व्यय धनराशिः— 370902.00

2— परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल— 2.970

3— दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल— 2.970 X 2=5.940 है0

4— दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि— 5.940 X 370902.00 = 2203157.88

रु0 **2203157.88**

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षे०

(हिमांशु बागड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर